



नेशनल लोक अदालत, खण्डपीठ क्रमांक-01 दुर्ग

जिला-दुर्ग (छत्तीसगढ़)

(पीठासीन अधिकारी-डॉ. प्रज्ञा पचौरी)

अंतरण आज्ञासि प्रकरण क्र.-264/2022.

सी.एन. आर. नं. CGDU010036632022

संस्थित दिनांक-07/10/2023.

चोला मंडलम इन्वेस्टमेंट एण्ड फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड,
शाखा कार्यालय, चौहान स्टेट, सुपेला भिलाई,
थाना सुपेला, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.),
द्वाराआम मुख्तयार-राम अवतार सिंह पिता श्री राम सिंह,

----- डिक्रीधारी/आवेदक

//विरुद्ध//

1. छन्नू वर्मा आ० बुधारी वर्मा, उम्र 34 साल,
2. मन्नू वर्मा पत्नी छन्नू वर्मा, उम्र 31 साल,
दोनों निवासी डबरा पारा, वार्ड क्रमांक-10, शीतला मंदिर के पास, चरोदा, भिलाई जिला दुर्ग (छ.ग.).

----- निर्णीतक्रणी/अनावेदकगण

॥ आदेश की प्रतिलिपि ॥

(नेशनल लोक अदालत दिनांक 08.03.2025 को पारित)

08.03.2025-

प्रकरण आज आयोजित नेशनल लोक अदालत में सुनवाई में लिया गया ।

आज्ञासिधारी द्वारा श्री राजेश मिश्रा अधिवक्ता ।

निर्णीतक्रणी गण द्वारा श्री जी एस लांबा अधिवक्ता ।

आज्ञासिधारी ने व्यक्त किया है कि प्रकरण में न्यायालय के

बाहर पूर्ण संतुष्टि हो जाने के कारण वे प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहता है, प्रकरण समाप्त किया जाए ।

आज्ञासिधारी द्वारा पूर्ण संतुष्टि पर प्रकरण समाप्त करने का निवेदन किया गया है । ऐसी स्थिति में आज्ञासिधारी को प्रकरण को आगे चलाने के लिए विवश नहीं किया जा सकता है । अतः आज्ञासिधारी के पूर्ण संतुष्टि के निवेदन पर प्रकरण की कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त की जाती है ।

प्रकरण में पूर्व से नियत तिथि प्रभाव से निरस्त की जाती है ।

प्रकरण का परिणाम अंकित कर, अभिलेख व्यवस्थित कर, नियत अवधि में अभिलेख प्रेषित हो ।

सही/-

सदस्य

सही/-

सदस्य

सही/-

(डॉ. प्रज्ञा पचौरी)

पीठासीन अधिकारी,

लोक अदालत ख.पी. क्र. 1, दुर्ग (छ.ग.)